-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

जनपद सहारनपुर की आईजीआरएस सैल द्वारा शिकायतों के निस्तारण में कठिन परिश्रम एवं पूर्ण लगन से कार्य करने पर माह सितम्बर की आईजीआरएस की रैंक में उत्तर प्रदेश में मिला प्रथम स्थान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र देकर किया गया सम्मानितः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के आदेशों के क्रम में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में जनपद सहारनपुर की आईजीआरएस सैल द्वारा **माह अगस्त** में आईजीआरएस पोर्टल में प्राप्त हुई शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने पर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था। जिसके फलस्वरुप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा शिकायतों का निस्तारण करने में अपना योगदान देने वाले कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुये भविष्य में भी पूर्ण लगन से कार्य करने के लिये दिशा-निर्देश दिये गये थे।

इसी के साथ-साथ आईजीआरएस सैल में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा कठिन परिश्रम एवं पूर्ण लगन से कार्य करते हुये **माह सितम्बर 2024** में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त हुई शिकायतों को सम्बन्धित थानों/क्षेत्राधिकारीगण के कार्यालयों को भेजकर शत-प्रतिशत समयबद्व एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया/कराया गया। **जिसके फलस्वरुप जनपद सहारनपुर की आईजीआरएस सैल द्वारा उत्तर प्रदेश में माह सितम्बर 2024 की आईजीआरएस की रैंक में प्रथम स्थान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।**

इसी क्रम में आज दिनांक 09-10-2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा पुलिस कार्यालय में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त हुई शिकायतों का समयबद्व एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने में पूर्ण लगन से कार्य करने वाले कर्म0गण क्रमशः **1-मुख्य आरक्षी अरुण कुमार, 2-आरक्षी रियाज अली 3-आरक्षी अनुज तोमर, आईजीआरएस सैल 4-मुख्य अरक्षी राहुल तोमर, क्षेत्राधिकारी देवबन्द कार्यालय, 5-आरक्षी संदीप कुमार तोमर, क्षेत्राधिकारी बेहट कार्यालय, 6-आरक्षी ज्ञानवीर थाना नागल, सहारनपुर, 7-महिला आरक्षी राखी भाटी थाना नकुड़, सहारनपुर** को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा भविष्य में भी पूर्ण लगन से कार्य करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर भी उपस्थित रहें।

दिनांकः 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.2024 को वादी श्री बुच्चा राम पुत्र सिमरु निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.मोहित पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.हिमांशु पुत्र सोम सिंह 3.विजय पुत्र सुभाष निवासीगण ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर मे घुसकर वादी के पुत्र राजबीर के साथ मारपीट कर गाली गलौच करने के संबंध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 298/24 धारा 333/115(2)/352 बीएनएस बनाम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही से उपरोक्त मुकदमें में धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2024 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण **1.मोहित पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड जनपद सहारनपुर 2.हिमांशु पुत्र सोम सिंह 3.विजय पुत्र सुभाष निवासीगण ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम साहबा माजरा कट के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर अभियुक्त मोहित उपरोक्त ने बताया कि मै बी0ए0 पास हूँ ओर फाईनेन्स कम्पनी में काम करता हूँ। राजवीर पुत्र बुच्चाराम हमारे की कुनबे का है। शिवरात्रि से दो दिन पहले राजवीर व उसके भाई का हमारे गांव के ही मान सिंह के परिवार वालो के साथ जमीन को लेकर झगड़ा हो गया था । एक ही गांव के होने के कारण हम लोगो ने राजवीर का साथ नही दिया था जिस कारण राजवीर व उसके परिवार वाले मेरे परिवार वालो से रंजिश रखने लगे थे और जब भी हम अपने घर आते जाते है तो हमे देखकर गाली गलौच करते थे। दिनांक 21.08.2024 को मेरी पत्नी का जन्मदिन था मेरे जान पहचान के व मेरे रिस्तेदार घर आये हुए थे उसी दिन राजवीर शराब के नशे मे हमारे घर के बाहर आया ओर गाली गलौच करने लगा था रिस्तेदारो से भी राजवीर ने गाली गलौच की थी। बस इसी गाली गलौच को लेकर मैने व हिमांशु व विजय ने राजवीर के साथ हाथा पाई ओर मारपीट कर दी थी। हमारा राजवीर को जान से खत्म करने का कोई उद्देश्य नही था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मोहित पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. हिमांशु पुत्र सोम सिंह निवासी ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. विजय पुत्र सुभाष निवासी ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
3. हे0का0 320 तरुण गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।

4. हे0का0 558 सन्दीप कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
5. हे0का0 1074 कालूराम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
6. का0 2238 मुकेश कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी/अभियुक्त **अख्तर पुत्र मौहम्मद अख्तर निवासी मेहन्दी सराय थाना मण्डी सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 272/2024 धारा 392/411 भादवि नियत दिनांक 11.10.2024 सम्बन्धित न्यायालय एसीजेएम तृतीय सहारनपुर को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अख्तर पुत्र मौहम्मद अख्तर निवासी मेहन्दी सराय थाना मण्डी स0पुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. का0 609 विपिन शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक - 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के 01 वांछित तांत्रिक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अतीक पुत्र नामालूम निवासी टीकरी जिला बागपत हाल पता किराये का कमरा, राणा स्टील नौगजापीर के पास थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री का ऊपरी हवा का इलाज करने के बहाने से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 256/2024 धारा 65(2) बी0एन0एस व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 09.10.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **अतीक पुत्र नामालूम निवासी टीकरी जिला बागपत हाल पता किराये का कमरा, राणा स्टील नौगजापीर के पास थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को सिम्भालकी अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अतीक पुत्र नामालूम निवासी टीकरी जिला बागपत हाल पता किराये का कमरा, राणा स्टील नौगजापीर के पास थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिहं, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0कां0 50 विशाल मलिक, थाना जनकपुरी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 09.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात एन्टीरोमियो पुलिस टीम द्वारा 01 गुमशुदा बच्चे को इसके परिजनो से मिलवाया गया

अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.10.2024 को रिजवान पुत्र वकील नि0 कैलाश बिहार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर द्वारा थाना कोतवाली देहात उपस्थित आकर सूचना दी कि एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 2.5 वर्ष है जो अपना नाम शाईन बता कहा है जो कैलाश बिहार में लावारिस दशा में मिला है जिसके परिवार की कोई जानकारी नही हो सकी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 (ऑपरेशन गरुड) चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी द्वारा एण्टीरोमियों टीम पर नियुक्त उ0नि0 राहुल कुमार मय फोर्स के गुमशुदा बच्चे के परिजनो का तलाश हेतु दिशा निर्देश दिये गये जिसमें बच्चा को सोशल मीडिया के माध्यम व आस पास के क्षेत्र में गुमशुदा बच्चा शाईन की जानकारी की गयी तो बच्चे के पिता शाकिर अली पुत्र इस्तखार अहमद नि0 रमजानपुरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के रुप में हुई। गुमशुदा बच्चे को इसके पिता से पहचान कराकर सुपूर्द किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
3. म0का0 1040 शीतल थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
4. म0का0 557 अनीता थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
5. हो0गा0 नीके रानी थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

दिनांकः 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध पटाखा फैक्टरी पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध बने अधबने पटाखे व पटाखे बनाने के उपकरण सहित 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम तथा आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत चलाये जा रहे सुरक्षा व तलाश अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण **(1) गुलशन पुत्र मौ0 इरफान निवासी म0नं0- 492 असालतपुर फारूखनगर जनपद गाजियाबाद (2) साजिद पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम असालतपुर फारूखनगर जनपद गाजियाबाद (3) इमरान पुत्र इरफान निवासी ग्राम असालतपुर फारूखनगर जनपद गाजियाबाद (4) फुरकान पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम मैलापुठ्टी थाना सरूरपुर जनपद मेरठ** को जंगल ग्राम खानपुर गुर्जर में अभियुक्त गुलशन उपरोक्त की पटाखा फैक्टरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो के कब्जे से करीब 4 कुन्तल 48 कि0ग्रा0 अवैध पटाखे व विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 452/24 धारा 125/223/288/61 बीएनएस व 9(ख)(1) विस्फोटक अधि0 1984 का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त गुलशन द्वारा बताया गया कि मै उक्त फैक्टरी का मालिक हूँ मैं मूलरूप से गाजियाबाद का रहने वाला हूँ हमारी फैक्टरी पहले गाजियाबाद में थी। एनसीआर से फैक्रटरी बाहर होने के कारण हमने यहां सहारनपुर में जमीन खरीदकर तथा सभी मानक पूरे करते हुए जंगलग्राम खानपुर गुर्जर में लगा रखी है। करीब 03 महीने पहले मुझे उक्त फैक्टरी के लाईसेन्स के सम्बन्ध श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय से नोटिस प्राप्त हुआ था जिसका जवाब मैने अपने वकील के माध्यम से देना था। परन्तु वकील साहब के ज्यादा व्यस्त होने के कारण जवाब नही दे सके थे जिस कारण हमारा लाईसेन्स निलम्बित हो गया था तथा कल पुलिस के छापे के दौराने हम अपनी फैक्टरी में आगामी त्यौहार के लिए पटाखे व फूलझडी तैयार कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. गुलशन पुत्र मौ0 इरफान निवासी म0नं0- 492 असालतपुर फारूखनगर जनपद गाजियाबाद
2. साजिद पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम असालतपुर फारूखनगर जनपद गाजियाबाद
3. इमरान पुत्र इरफान निवासी ग्राम असालतपुर फारूखनगर जनपद गाजियाबाद
4. फुरकान पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम मैलापुठ्टी थाना सरूरपुर जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण

- 04 कार्टून पेटी जिसमें फूलझडी पटाखा मार्शल मार्का एक जैसी, कुल वजन 38 Kg 300 g
- 18 कार्टून पेटी जिनमें एक जैसे पैकिंग शुदा चटर पटर पटाखे है जिनका कुल वजन 304 Kg 300g
- 03 कार्टून पेटी अधबने चटर पटर पटाखे एक जैसे कुल वजन 49Kg 100g

- 02 कार्टून पेटी निर्मित चटर पटर पटाखे एक जैसे बिना पैकिंग कुल वजन 33 Kg 100g
- 02 कट्टे प्लास्टिक के कट्टो में चटर पटर अधबने पटाखे एक जैसे जिनका कुल वजन 23 Kg 900g

अभियुक्त फुरकान का आपराधिक इतिहासः-

- मु0अ0सं0 687/23 धारा 5, 9B (1)(b) विस्फोटक अधिनियम, 1884 थाना सरधना जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री संजय शर्मा थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. हे0का0 818 सचिन कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
4. हे0का0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
5. का0 1820 अंकित मान थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
6. का0 1663 सचिन कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

दिनांकः- 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी करने वाले 03 वांछित अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.09.2024 को थाना सरसावा पर वादी श्री संजीव कुमार पुत्र कामता सिंह निवासी गांव+पोस्ट-जागीर थाना एलाऊ सगामई जनपद मैनपुरी ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बावत महक सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी गांव बिरालसी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर व 03 अन्य द्वारा क्लाइंट का लोन वितरण करना और मासि क किस्तों को क्लाइंट के घर से एकत्र करना और फिर कम्पनी के बैंक अकाउंट में जमा न करने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 296/2024 धारा 409 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक आदेश-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.10.2024 को सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की घटना के वांछित अभियुक्तगण **1.महक सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी गांव बिरालसी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर 2.शादाब अहमद पुत्र गुलबहार निवासी ग्राम सोहनचिड़ा थाना नांगल जिला सहारनपुर 3.मोनू कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जिला शामली** को मुखबिर की सूचना पर सरसावा कट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम तीनो ने अपने अन्य चोथे साथी के साथ मिलकर मुथूट माइक्रोफिन लि0 कम्पनी से लोन लेने वाले ग्राहको से लोन का पैसा वसूल किया था हमारे मन मे लालच आ जाने के कारण हमने वो पैसा कम्पनी मे जमा नही किया था और अपने पास ही रख लिया है और आपस में बराबर बाँट लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. महक सिंह पुत्र अनूप सिंह निवासी गांव बिरालसी थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर
2. शादाब अहमद पुत्र गुलबहार निवासी ग्राम सोहनचिड़ा थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. मोनू कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम जसाला थाना कांधला जिला शामली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामबीर सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 136 हरदयाल थाना सरसावा सहारनपुर
3. का0 1997 विनित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
4. का0 1960 टेकचन्द थाना सरसावा सहारनपुर
5. का0 2312 राजू थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांकः 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा बलवा करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2024 को वादी हे0का0 धर्मवीर नियुक्ति थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर की मौखिक तहरीर बाबत जनपद गाजियाबाद में स्वामी यति नरसिन्हानन्द के द्वारा हजरत मौहम्मद साहब के विरूद्ध दिये गये आपत्तिजनक/कथित बयान के सम्बन्ध चौकी शेखपुरा कदीम क्षेत्रान्तर्गत में ग्राम शेखपुरा कदीम के बाजार मीराजी में उच्चाधिकारीगणो को ज्ञापन के उपरान्त हुए बलवे के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0-425/24 धारा 190/191(2)/352/351(3)/125/221/223/121(1)/126(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 20 नामजद व 40-50 अज्ञात आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में बलवे के मामलें में वांछित **अभियुक्त सद्दाम पुत्र जहूर निवासी मुबारकपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सद्दाम पुत्र जहूर निवासी मुबारकपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. हे0का0 917 धर्मवीर सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

दिनांकः 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2024 को कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित **अभियुक्त अंकित पुत्र अशोक सैनी निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0स0-361/24 धारा 191(3)/109(1) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट मे थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकित पुत्र अशोक सैनी निवासी ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

निल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. हे0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

दिनांकः09-10-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना,सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर अभियुक्ता गिरफ्तार, दोनो के कब्जे से 45-45 देशी पव्वे/फ्रूटी उ0प्र0 महबूबा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में शराब की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान 02 नशा तस्कर **अभियुक्तागण 1. माया पत्नी स्व0 राजेन्द्र निवासी ग्राम छोटी पठेड़ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 2. छोटी पत्नी स्व0 नीटू समस्त निवासीगण ग्राम छोटी पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम टोडरपुर से दबकौरा की जाने वाला रास्ता सडक पुख्ता से गिरफ्तार किया । जिनके कब्जे से 45-45(कुल 90) देशी पव्वे/फ्रूटी उ0प्र0 महबूबा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0- 228/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम माया आदि 02 नफर के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तागण ने पूछने पर बताया कि हम लोग पैसा कमाने के लिये शराब लाकर बेचते है और हमारे पास कोई काम नही है। जिससे हम अधिक पैसों में बेच देते है जिससे हमे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता:-

1. माया पत्नी स्व0 राजेन्द्र निवासी ग्राम छोटी पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. छोटी पत्नी स्व0 नीटू निवासी ग्राम छोटी पठेड थाना चिलकाना सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

45-45(कुल 90) देशी पव्वे/फ्रूटी उ0प्र0 महबूबा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 रश्मि थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 461 सोनू कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
4. का0 2498 पुष्पेन्द्र सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:09-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में शराब/मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 09.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर **अभियुक्त सुरेश पुत्र हरमल निवासी ग्राम बुड्डाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को चिलकाना सहारनपुर रोड पर औरंगजेबपुर वाला खडंजा से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0- 227/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम सुरेश के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरे पास कोई काम नही है। मैं हरियाणा से सस्ते दामों पर शराब लाकर बेचता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुरेश पुत्र हरमल निवासी ग्राम बुड्डाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुरेश उपरोक्तः-

मु0अ0सं0—227/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजीव यादव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 244 धर्मेन्द्र सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांकः 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 01.10.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मुकेश पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम खुड़ाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्र के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने की सूचना के आधार पर थाना नानौता पर मु0अ0स0 227/24 धारा 74/296 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री अमित नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए छेड़छाड़ के मामलें में वांछित **अभियुक्त अभियुक्त मुकेश पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को संजय चौक नानौता से गिरफ्तार किया गया ।अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मुकेश पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम खुडाना थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रशिक्षु म0उ0नि0 भावना थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 597 मोहसीन थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. हो0गा0 2030 जीशान खान नानौता जनपद सहारनपुर

दिनांक - 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में गुमशुदा को सकुशल बरामद कर किया गया परिजनो के सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 09.10.2024 को वादी श्री रवि कुमार पुत्र जयपाल निवासी ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी का पुत्र निखिल कुमार उम्र लगभग - 13 वर्ष घर से कही चले जाने तथा अभी तक वापस नही आने के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 258/2024 धारा 137(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी को आदेश-निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र कुमार नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2024 थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 12 घण्टे में **गुमशुदा निखिल पुत्र रवि कुमार निवासी ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र करीब 13 वर्ष** को ग्राम परसागढ सलीरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर से सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया। परिजनो द्वारा जनकपुरी पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

गुमशुदा का नाम व पता:-

निखिल पुत्र रवि कुमार निवासी ग्राम छज्जपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र 13 वर्ष।

गुमशुदा को बरामद करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिहं, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0कां0 50 विशाल मलिक, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0कां0 735 सूरज कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

दिनांक - 09.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मात्र 08 घण्टे में गुमशुदा बच्ची को सकुशल बरामद कर किया गया परिजनो के सुपुर्द

अवगत कराना है कि दिनांक 09.10.2024 को वादी श्री नसीम अहमद पुत्र यामीन अहमद निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी की पोती माहिरा उम्र करीब 02 वर्ष के घर से कही चले जाने व वापस नही आने के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 257/2024 धारा 137(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर गुमशुदा की शीघ्र बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी को आदेश-निर्देश दिए । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र कुमार नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 09.10.2024 थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 08 घण्टे में **गुमशुदा माहिरा पुत्री नदीम निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र करीब 02 वर्ष** को ग्राम खुर्द अड्डे के पास अम्बुडा रोप फैक्ट्री के बराबर से सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया गया। परिजनो द्वारा जनकपुरी पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

गुमशुदा का नाम व पता:-

माहिरा पुत्री नदीम निवासी ग्राम खुर्द थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर उम्र 02 वर्ष।

गुमशुदा को बरामद करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0कां0 731 पोपिन, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0कां0 218 अय्युब, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।